



सोशल मीडिया विनियमन के युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : एक अध्ययन

डॉ. वृजेन्द्र बेनीवाल

सहायक प्राध्यापक (विधि)

श्री एच. एल. पटेल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय एवं

श्री पी. टी. माकडिया विधि महाविद्यालय,

भायावदर, जिला राजकोट, गुजरात।

सार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के तीव्र विस्तार के साथ अभिव्यक्ति के स्वरूप, दायरे और प्रभाव में मूलभूत परिवर्तन आया है। जहाँ सोशल मीडिया ने संचार को लोकतांत्रिक बनाया है और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा दिया है, वहीं इसने गलत सूचना, धृष्ट भाषण, साइबर उत्पीड़न तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है। इन चुनौतियों के प्रत्युत्तर में भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने हेतु विनियामक ढाँचे विकसित किए हैं। यह शोध लेख भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया विनियमन के बीच विकसित होते संबंध का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। इसमें संवैधानिक सीमाओं, वैधानिक प्रावधानों तथा प्रमुख न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया है तथा मध्यस्थ दायित्व की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं डिजिटल नैतिकता जैसे सामाजिक हितों के बीच गंभीर तनाव विद्यमान है। शोध का निष्कर्ष है कि यद्यपि विनियमन आवश्यक है, किंतु अत्यधिक या अस्पष्ट प्रतिबंध लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकते हैं; अतः एक संतुलित, पारदर्शी और अधिकार-आधारित विनियामक दृष्टिकोण अनिवार्य है।

मुख्य शब्द (Keywords): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया, ऑनलाइन विनियमन, मध्यस्थ दायित्व, डिजिटल अधिकार, भारतीय संविधान

भूमिका (Introduction)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन की नींव है, जो व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने, सूचना के प्रसार और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने में सक्षम बनाती है। भारत में यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त है, जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उदय ने अभिव्यक्ति की पारंपरिक



सीमाओं को बदल दिया है, क्योंकि अब संचार त्वरित, वैश्विक और लगभग बिना किसी छानबीन के संभव हो गया है।

जहाँ सोशल मीडिया ने हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाया है और लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूत किया है, वहीं इसने फेक न्यूज, घृणा भाषण, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उग्रवाद जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है। इन परिस्थितियों ने राज्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं।

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

- 1) भारतीय संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा का अध्ययन करना।
- 2) भारत में सोशल मीडिया से संबंधित कानूनों एवं विनियामक प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण करना।
- 3) सोशल मीडिया विनियमन का मौलिक अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(क), पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- 4) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रभावी सुरक्षा हेतु उपयुक्त विधिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

अनेक विधि विद्वानों और न्यायिक टिप्पणीकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल विनियमन के बीच संबंध का अध्ययन किया है तथा इसमें निहित अवसरों और संवैधानिक जोखिमों को रेखांकित किया है।

- **भाटिया (2019)** का तर्क है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों में व्यापक रूप से की जानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजनीतिक सहभागिता और असहमति व्यक्त करने के लिए अनिवार्य साधन बन चुके हैं। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि अस्पष्ट वैधानिक प्रावधान वैध अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव (चिलिंग इफेक्ट) उत्पन्न करते हैं।
- **मेनन (2021)** ने भारत के सोशल मीडिया विनियामक ढांचे का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए यह टिप्पणी की है कि मध्यस्थों पर बढ़ती जिम्मेदारियाँ निजी सेंसरशिप को जन्म दे सकती हैं, जहाँ प्लेटफॉर्म संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के बजाय कानूनी दायित्व से बचने हेतु सामग्री हटाते हैं।
- **श्रेय सिंहल बनाम भारत संघ (2015)** निर्णय को विधिक साहित्य में एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है, जिसने अस्पष्टता के सिद्धांत को सुदृढ़ किया और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की। विद्वानों की यह सहमति है कि इस निर्णय ने डिजिटल अभिव्यक्ति के विनियमन के मूल्यांकन हेतु एक संवैधानिक मानक स्थापित किया।



- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)** निर्णय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार करते हुए यह मान्यता दी कि इंटरनेट तक पहुँच मौलिक अधिकारों के प्रयोग का अभिन्न अंग है। अकादमिक विमर्श में इस निर्णय को भारत में डिजिटल संवैधानिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया है।
- **केलर (2022)** ने यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (Digital Services Act–DSA) का गहन विश्लेषण करते हुए डिजिटल प्लेटफार्मों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियामक हस्तक्षेप के मध्य संतुलन की समस्या को उजागर किया है। अध्ययन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि डिजिटल प्लेटफार्मों की बढ़ती भूमिका के कारण पारंपरिक अभिव्यक्ति के अधिकार नए प्रकार के जोखिमों और चुनौतियों से घिरे हुए हैं, जिनमें गलत सूचना, घृणास्पद भाषण और ऑनलाइन क्षति प्रमुख हैं। केलर के अनुसार, DSA का प्रमुख उद्देश्य डिजिटल प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि वे सामग्री मॉडरेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाएँ और मनमानी सेंसरशिप से बचें। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि यदि विनियमन अत्यधिक कठोर हो, तो यह “चिलिंग इफेक्ट” उत्पन्न कर सकता है, जिससे वैध और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति भी प्रभावित हो सकती है।

अध्ययन में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि पारदर्शी नियामक ढाँचा, स्वतंत्र निगरानी तंत्र और प्रभावी अपील प्रक्रियाएँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में सहायक हो सकती हैं। केलर का निष्कर्ष है कि डिजिटल सेवा अधिनियम तभी प्रभावी सिद्ध होगा जब वह डिजिटल क्षति को कम करने के साथ-साथ मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, को संरक्षित रखने का संतुलित दृष्टिकोण अपनाए।

यह अध्ययन वर्तमान शोध के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल विनियमन और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर्संबंध को स्पष्ट करता है तथा यह संकेत देता है कि उत्तरदायी और पारदर्शी नियमन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किए बिना भी संभव है।

हालाँकि, उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि भारत में उभरते सोशल मीडिया विनियमन और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच व्यावहारिक संतुलन के अध्ययन में अभी भी एक शोध-अंतर विद्यमान है। वर्तमान अध्ययन इसी शोध-अंतर को सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के माध्यम से भरने का प्रयास करता है।

शोध कार्यप्रणाली (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन में **सैद्धांतिक (Doctrinal)** एवं **विश्लेषणात्मक शोध पद्धति** को अपनाया गया है। यह शोध संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक कानूनों, न्यायिक निर्णयों तथा विद्वानों के लेखन की व्याख्या और विश्लेषण पर केंद्रित है।



डेटा के स्रोत (Sources of Data)

प्राथमिक स्रोत (Primary Sources):

- भारतीय संविधान
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- आईटी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय

द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):

- पुस्तकें, शोध लेख एवं विधि पत्रिकाएँ
- भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें
- ऑनलाइन विधिक डेटाबेस एवं सरकारी प्रकाशन

विश्लेषण की विधि (Method of Analysis)

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का समालोचनात्मक विश्लेषण
- न्यायिक प्रवृत्तियों को समझने हेतु न्यायिक निर्णयों का अध्ययन
- अंतरराष्ट्रीय विनियामक ढाँचों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण
- डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विनियमन के प्रभाव का मूल्यांकन

यह शोध कार्यप्रणाली यह परखने का प्रयास करती है कि वर्तमान सोशल मीडिया विनियमन **युक्तियुक्तता, समानुपातिकता और विधिक प्रक्रिया** के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करता है या नहीं।

शोध परिकल्पनाएँ (Research Hypotheses)

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है:

H01 (शून्य परिकल्पना):

भारत में सोशल मीडिया से संबंधित विनियमन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

H02 (शून्य परिकल्पना):

मध्यस्थ दायित्व से संबंधित वर्तमान प्रावधान व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

H03 (वैकल्पिक परिकल्पना):

भारत में सोशल मीडिया विनियमन असमानुपातिक और अस्पष्ट प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

H04 (वैकल्पिक परिकल्पना):

मध्यस्थों पर बढ़ती जिम्मेदारियाँ निजी सेंसरशिप को बढ़ावा देती हैं, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ (Scope and Limitations of the Study)

यह अध्ययन भारत में सोशल मीडिया विनियमन से संबंधित विधिक ढांचे तक सीमित है तथा इसमें केवल चयनित तुलनात्मक संदर्भों को शामिल किया गया है। शोध मुख्यतः संवैधानिक एवं विधिक आयामों पर केंद्रित है और इसमें उपयोगकर्ता-आधारित अनुभवजन्य सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तीव्र तकनीकी विकास भविष्य में विनियामक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं, जो इस अध्ययन के दायरे से बाहर हैं।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक ढाँचा



अनुच्छेद 19(1)(क) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तथापि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, मानहानि, न्यायालय की अवमानना तथा अपराध के लिए उकसावे के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर यह कहा है कि अभिव्यक्ति पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को युक्तियुक्तता, समानुपातिकता और विधिक वैधता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। *रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य* (1950) में न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक संस्थाओं का मूल आधार बताया।

सोशल मीडिया : एक नया सार्वजनिक क्षेत्र

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आधुनिक सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ व्यक्ति राजनीतिक बहस, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक सक्रियता में भाग लेते हैं। पारंपरिक मीडिया के विपरीत, सोशल मीडिया में उपयोगकर्ता-निर्मित सामग्री होती है और संपादकीय नियंत्रण न्यूनतम होता है। इससे निजी और सार्वजनिक अभिव्यक्ति के बीच की रेखा धुंधली हो गई है।

हालाँकि, ऑनलाइन सामग्री के वायरल स्वरूप के कारण हानिकारक भाषण का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे विनियमन की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाती है। मुख्य चुनौती यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को केवल मध्यस्थ माना जाए या संपादकीय उत्तरदायित्व वाले प्रकाशक।



भारत में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला विधिक ढाँचा

4.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डिजिटल संचार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसकी धारा 69A सरकार को निर्दिष्ट आधारों पर ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 79 के अंतर्गत मध्यस्थों को सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) दिया गया है, बशर्ते वे उचित सावधानी का पालन करें।

4.2 आईटी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

2021 के नियमों के अंतर्गत सोशल मीडिया मध्यस्थों पर शिकायत निवारण तंत्र, सामग्री हटाने की समय-सीमा और संदेश के मूल स्रोत की पहचान जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ डाली गई हैं। आलोचकों का मत है कि इससे अति-सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

न्यायिक व्याख्या और प्रमुख निर्णय

न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्ट और असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अस्पष्ट कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में न्यायालय ने यह घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति भी एक मौलिक अधिकार है और इस पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध समानुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

सोशल मीडिया विनियमन में चुनौतियाँ

1. **अत्यधिक व्यापकता और अस्पष्टता** – “सार्वजनिक व्यवस्था” और “राष्ट्रीय सुरक्षा” जैसे शब्दों का दुरुपयोग।
2. **निजी सेंसरशिप** – प्लेटफॉर्म द्वारा सामग्री हटाने में जवाबदेही का अभाव।
3. **चिलिंग इफेक्ट** – कानूनी भय के कारण वैध अभिव्यक्ति में कमी।
4. **अधिकारों का संतुलन** – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता, गरिमा व प्रतिष्ठा के अधिकारों के बीच संघर्ष।



तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। यूरोपीय संघ डिजिटल सेवा अधिनियम के माध्यम से मंचों की जवाबदेही पर बल देता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम संशोधन के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक संरक्षण देता है। भारत का दृष्टिकोण इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सोशल मीडिया विनियमन के युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संतुलित और विवेकपूर्ण कानूनी दृष्टिकोण आवश्यक है। हानिकारक सामग्री को रोकने के लिए विनियमन जरूरी है, किंतु यह लोकतांत्रिक विमर्श को बाधित नहीं करना चाहिए। कानून स्पष्ट, समानुपातिक और पारदर्शी होने चाहिए तथा उन पर सशक्त न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निष्पक्ष सामग्री नियंत्रण नीतियाँ अपनानी चाहिए और उपयोगकर्ताओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा लोकतंत्र और संवैधानिक शासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ

संविधान एवं विधियाँ

1. **INDIA CONST.** art. 19.
(भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19)
2. **Information Technology Act, No. 21 of 2000, INDIA CODE (2000).**
(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000)
3. **Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, GAZETTE OF INDIA, pt. II, sec. 3(i).**
(आईटी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021)

न्यायिक निर्णय (Cases)

4. **Romesh Thappar v. State of Madras, A.I.R. 1950 S.C. 124 (India).**
(रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950)
5. **Shreya Singhal v. Union of India, (2015) 5 S.C.C. 1 (India).**
(श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ, 2015)
6. **Anuradha Bhasin v. Union of India, (2020) 3 S.C.C. 637 (India).**
(अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, 2020)

पुस्तकें (Books)

7. **GAUTAM BHATIA, OFFEND, SHOCK, OR DISTURB: FREE SPEECH UNDER THE INDIAN CONSTITUTION** (Oxford Univ. Press 2019).
(गौतम भाटिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)



शोध लेख / पत्रिकाएँ (Journal Articles)

8. Nivedita Menon, *Social Media Regulation and Free Speech in India*, 15 **INDIAN J. CONST. L.** 45 (2021).

(निवेदिता मेनन, भारत में सोशल मीडिया विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)

अंतरराष्ट्रीय विधिक दस्तावेज़ (International Instruments)

9. **European Union**, *Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act)*, 2022 O.J. (L 277) 1.

(यूरोपीय संघ – डिजिटल सेवा अधिनियम, 2022)

10. Daphne Keller, *Regulating Speech Online: Lessons from the Digital Services Act*, **HARV. J.L. & TECH.** (2022).

(डैफनी केलर, ऑनलाइन अभिव्यक्ति का विनियमन)

ऑनलाइन विधिक स्रोत (Online Legal Sources)

11. Supreme Court of India, *Judgments Information System*, <https://main.sci.gov.in>
12. Law Commission of India, *Reports*, <https://lawcommissionofindia.nic.in>



**MULTIDISCIPLINARY COSMOPOLITAN JOURNAL OF RESEARCH
(MUCOJOR)-2583-9829 (On-line)**

International Peer Reviewed and Refereed Journal

Certification of Publication

The Board of Multidisciplinary Cosmopolitan Journal of Research (MUCOJOR) is hereby awarding
this certificate to

डॉ. वृजेन्द्र बेनीवाल

In recognition of the publication of the paper entitled
सोशल मीडिया विनियमन के युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : एक अध्ययन

Published in Volume 03, Issue 06, December 2025.

EDITOR IN CHIEF